बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांकः– 10589(s) पटना, दिनांकः– 27/12/16

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम,
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम,
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग

विषयः– **SBD/CMBD के प्रावधानों के तहत Defect Liability Period से संबंधित संवदिा के प्रावधानों को लागू (Enforce) किये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–15182(s) दिनांक–27.11.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य में पूर्व में निर्मित सड़कों एवं निर्माणाधीन सड़कों के रख–रखाव एवं उसकी स्थिति की समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि कई ऐसे पथ हैं, जिनका OPRMS Package के तहत पथ के संधारण में कठिनाई हो रही है। इसके संबंध में यह बताया जाता है कि उक्त पथ जब लिया गया था, तब उसकी स्थिति खराब थी एवं Defect Liability Period प्रभावी रूप से लागू (Enforce) नहीं किया गया था। SBD के प्रावधानों के तहत अनेक पथ Defect Liability Period के अंत तक अत्यंत नाजुक स्थिति में पहुँच जाने के फलस्वरूप उस पर तत्काल Defect निराकरण की आवश्यकता के अनुरूप कार्य नहीं कराने पर सड़क खराब हो जाते हैं एवं इसे सामान्य रूप से OPRMC के तहत संधारित करना संभव नहीं हो पाता है। CMBD के प्रावधानों के तहत पाँच साल की निर्धारित अवधि के पूर्व उस पर कराये गये कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है। संवेदक द्वारा Defect Liability Period में रख–रखाव के लिए आवश्यक संसाधन संरचना एवं मानव संसाधन (Man Power) पथ के संधारण में नहीं लगाया जाता है फलस्वरूप पथ के रख–रखाव का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन विभागीय निदेशों एवं IRC के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो पाता है।

DLP की धारणा यह नहीं है कि निर्मित सड़क के टूट जाने के फलस्वरूप उसका सामान्य मरम्मति कर (Pot Patch) DLP की अवधि तक खींचा जाय एवं DLP समाप्त होते ही संवेदक अपनी जवाबदेही से मुक्त होकर अपना Bank Guarantee (BG) एवं संरक्षित जमा राशि (Security Deposit) प्राप्त करने में सफल हो जाय, बल्कि DLP के दौरान संवेदक की यह जवाबदेही होती है कि पथ का संधारण Design Specification के अनुरूप करते हुए पथों को अच्छी स्थिति में द्वितीय पक्ष/कार्य प्रमंडल को हस्तगत कराये। क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कार्य प्रमंडलों द्वारा DLP की मूल भावना एवं संविदा के प्रावधानों के अनुरूप ससमय अनुवर्ती कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप संबंधित संवेदक द्वारा Defect Liability Period को लागू करने में अभिरूचि नहीं ली जाती है, जिससे न केवल निरूपित अवधि के पूर्व ही पथ की स्थिति खराब हो जाती है एवं खराब पथों के संधारण में राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय वहन करना पड़ता है। इसके साथ ही खराब पथों के कारण सरकार की छवि धूमिल होती है। इस संबंध में समय–समय पर विभाग द्वारा निदेश जारी किये गये हैं। SBD एवं CMBD के Clause C8, C17 एवं पूर्व में निर्गत निदेशों से पुनः अवगत कराया जा रहा है, जो निम्न प्रकार हैं :–

(1) **CLAUSE C 8 of SBD/CMBD:- "<u>Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-Charge and within fifteen days of the receipt of such notice the Engineer-in-Charge shall inspect the work and if there is no defect in the work shall furnish the contractor with a final certificate of completion, otherwise a provisional certificate of physical completion indicating defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates, shall be issued.</u>** But no final certificate of completion shall be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall

be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/their work people on the site in connection with the execution of the works as shall have been erected or constructed by the contractor (s) and cleaned off the dirt form all wood work, doors, windows, wills, floor or other parts of the building, in, upon, or about which the work is to be executed or of which he may have had possession for the purpose of execution thereof, and not until the work shall have been measured by the Engineer-in-Charge."

(2) **CLAUSE C 17 of SBD/CMBD:-** "if the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of building in which they may be working, or any building, road, road curb, fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone post or wired, trees, grass or grassland, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part is being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress, form any cause" **whatever of if any defect, shrinkage or other faults appear in the work within defect liability period after a certificate final or otherwise of its completion** shall have been given by the Engineer-in Charge as aforesaid arising out of defect or improper materials or workmanship the contractor shall upon receipt of a notice in writing on that behalf make the same good at his own expense or in default the Engineer-in-Charge cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense form any sums that may be due or at any time thereafter may become due to the contractor, of from his security deposit except for the portion pertaining to asphaltic work which is governed by sub-para (iii) of clause 35 or the proceeds of sale thereof or of a sufficient option thereof. The security deposit of the contractor shall not be refunded before the expiry of defected liability period after the issue of the certificate final or otherwise, of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later.

उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि Defect Liability Period/DLP का निर्धारण SBD एवं CMBD के Clause C8, C17 के प्रावधानों के अनुसार कार्य समाप्ति के 10 दिनों के अन्दर कर दिया जाना चाहिए एवं संवेदक द्वारा Completion Of Work के Notice बाध्यकारी रूप से प्राप्त कर कार्यपालक अभियंता द्वारा Final Certificate Of Completion निर्गत करते हुए DLP की अवधि प्रारंभ होने की विधिवत सूचना संवेदक के साथ विभाग एवं अधीक्षण अभियंताओं को दिया जाना है। ऐसा ससमय नहीं होने के परिणामस्वरूप यह निर्धारित करना कि सभी अर्थों में IRC के प्रावधानों एवं Design एवं DPR के निर्धारित Specification के अनुरूप कार्य पूर्णता के संबंध में कठिन हो जाता है एवं कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि क्या थी ? यहाँ वास्तविक तिथि ही Defect Liability Period/DLP के गणना हेतु प्रारंभिक तिथि होती है। कार्यपालक अभियंता द्वारा Final Certificate Of Completion निर्गत करने के फलस्वरूप विधिवत् Project Completion Report (PCR) विभागीय पत्रांक–4096 दिनांक–09.06.2016 के आलोक में नहीं होने से यह असमंजस की स्थिति बनी रहती है, जिसका कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SBD एवं CMBD के प्रावधानों के तहत निर्मित पथों के संबंध में DLP से आच्छादित पथांशों की प्रत्येक 6 माह पर IRI (International Roughness Index) कराया जाय एवं इसके आधार पर पथांशों में आयी त्रुटियों का तत्काल ही निराकरण सुनिश्चित करायेंगे। DLP अवधि की समाप्ति के 3 माह पूर्व निर्माण एजेंसी, यथा–बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य पथ विकास निगम, कार्य प्रमंडल, में पदस्थापित सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल में पदस्थापित सहायक अभियंता (अनुश्रवण) एवं संवेदक अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पथ का संयुक्त निरीक्षण कर पथों में उभरे खामियों से संबंधित प्रतिवेदन (Joint Memorandum) कार्यपालक अभियन्ता को समर्पित करेंगे। कार्यपालक अभियंता संवेदक को पथ में उभरे खामियों को विशिष्टियों (Design Specification) के अनुरूप DLP अवधि समाप्ति के पूर्व ही पुनर्स्थापन (Reconstruction) हेतु Notice देंगे। संवेदक पथांशों के उक्त त्रुटियों का निराकरण DLP समाप्ति के 15 दिनों के पहले कराना सुनिश्चित करायेंगे। इसके पश्चात इसकी जाँच संबंधित पथ अंचलों में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण) से करायी जाएगी। यदि उसके सत्यापन के दौरान संवेदक द्वारा DLP अवधि में उभरे खामियों को समय रहते ठीक नहीं कराया जाता है तो उनके Security Deposit/Bank Guarantee को जब्त कर एकरारनामे के उल्लंघन के लिए वांछित कार्रवाई शीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में DLP पथांशों में उभरे त्रुटियों को बिना निराकरण कराये संवेदक द्वारा जमा किया गया Security Deposit/Bank Guarantee को वापस